

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना जिला डीडवाना-कुचामन

बड़जलास - जे.पी. बैरवा आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 89/2012

वादी :-

1. शंकरसिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति राजपूत
निवासी सफेड छोटी तहसील मकराना

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मदनसिंह पुत्र सुखसिंह जाति राजपूत
2. श्रीमति सदाकंवर पत्नि किशोरसिंह जाति राजपूत
3. महावीरसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत
4. श्रवणसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत
5. आनन्दसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत
6. प्रेमकंवर पुत्री श्री किशोरसिंह जाति राजपूत
7. धापूकंवर पुत्री किशोरसिंह जाति राजपूत
8. श्रीमति भंवरीदेवी पत्नि परसाराम जाति जाट सभी निवासीगण
सफेडबडी तहसील मकराना
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मकराना
10. उप पंजीयक मकराना
11. हेमाराम पुत्र परसाराम जाति जाट निवासीगण सफेडबडी तहसील
मकराना

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा


:: डिक्री ::

वाद वादी माफिक बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है कि ग्राम सफेडबडी के खसरा संख्या 83 व 83/1 में से खसरा संख्या 83 रकबा 3.9740 हैक्ट. भूमि का वादी शंकरसिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति राजपूत सा. सफेड छोटी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा संख्या 83/1 रकबा 3.9740 हैक्ट. भूमि को जमाबन्दी अनुसार शेष खातेदार बदस्तूर रहेगे। तहसीलदार मकराना द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार मकराना को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

इस वाद में खर्चे लेखे..निल. रुपये की राशि आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ... निल... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहितनिल... के द्वारा ...निल... को दी जावेगी।

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
निल	निल	निल	निल

आज दिनांक 31.01.24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
मकराना